बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:::कार्यालय आदेश:::—

का0आ0—15/बि0स0से—01—01/2018 सा0प्र0................/, पटना—15, दिनांक...............................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 12 दिनांक 12.01.2016 के क्रमांक—05 द्वारा श्री सियाराम सिंह, सेवानिवृत्त सहायक को संविदा के आधार पर दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना में सहायक के पद पर नियोजित किया गया, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 12.01.2016 को संविदा के आधार पर सहायक के पद पर योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका—3(2)(ख)(v) के तहत योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री सिंह, संविदा पर नियोजित सहायक की सेवावधि विस्तार से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री सिंह, संविदा पर नियोजित सहायक को दिनांक 12.01.2018 से एक वर्ष के लिए सेवावधि का विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2) यह नियोजन दिनांक 12.01.2018 से एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगी।

3) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय—समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4) संकल्प की कंडिका—3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका—3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

   मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका—3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

6) इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—15/ बि0स0से—01—01/2018 सा0प्र0...................../, पटना—15, दिनांक...................................

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री सियाराम सिंह, संविदा पर नियेजित सहायक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अवर सचिव।

PK/sush/office order

ज्ञापांकः–15 / बि0स0से–01–01 / 2018 सा0प्र0.......45......./, **पटना–15, दिनांक**....5.2.18.....

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य **प्रशासन** विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

PK/sush/office order